भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2645
दिनांक 16 दिसंबर, 2025 / 25 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कर्नाटक और बेंगलुरु में साइबर धोखाधड़ी के मामले

†2645. श्री. पी. सी. मोहन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में दर्ज साइबर धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कितनी है तथा कर्नाटक और बेंगलुरू के आंकड़ों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) यूपीआई घोटाले, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी औऱ पहचान की चोरी जैसे साइबर धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा साइबर अपराधों को रोकने और उनकी निगरानी करने के लिए क्या उपाए किए गए है और इसमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आईफोरसी) और साइबर हेल्पलाइन 1930 की भूमिका क्या है;

(घ) देश में, विशेषकर कर्नाटक और बेगलुरू में नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) साइबर धोखाधड़ी में शामिल लोगों के विरूद्ध प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबधित कानूनों के तहत निर्धारित दंड और कानूनी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ङ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2023 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों को शामिल करते हुए) संबंधी

धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (कर्नाटक सहित) दर्ज मामले और वर्ष 2021-2023 के दौरान बेंगलुरु में साइबर अपराधों (माध्यम / लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों को शामिल करते हुए) के तहत दर्ज अपराध शीर्ष-वार मामले क्रमशः अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में हैं। वर्ष 2023 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों को शामिल करते हुए) के तहत पंजीकृत अपराध शीर्ष-वार मामले अनुलग्नक-III में हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। दिनांक 31.10.2025 तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. दिनांक 31.10.2025, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vi. आई4सी के तहत मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहु-न्यायिक मुद्दों वाले साइबर अपराध हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करती हैं।

vii. आई4सी, गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', ‘थाना कनेक्ट’ और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है।

viii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक ‘राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)’ स्थापित की गई है। दिनांक 31.10.2025 तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,952 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच), नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ix. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

x. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। अब तक, बैंकों से प्राप्त 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24.67 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 8031.56 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है।

xi. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई हैं और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी, नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान: आई4सी ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।
4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
5) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने 19 जुलाई 2025 से 52 सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

लोक सभा अतारांकित प्र. सं. 2645 दिनांक 16.12.2025

6) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम**,** 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत 18 धाराएं हैं जो साइबर अपराधों के विभिन्न रूपों को कवर करती हैं**,** जिनमें से 6 अपराध गैर-जमानती हैं और 12 अपराध जमानती हैं। आईटी अधिनियम के तहत सभी अपराधों का विवरण उनके दंडात्मक परिणामों के साथ अनुलग्नक-IV में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16.12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों संबंधी धोखाधड़ी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज मामले

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021**	**2022**	**2023**
1	आंध्र प्रदेश	952	984	909
2	अरुणाचल प्रदेश	2	0	0
3	असम	82	16	0
4	बिहार	1373	1441	2611
5	छत्तीसगढ़	67	42	29
6	गोवा	1	11	0
7	गुजरात	208	108	112
8	हरियाणा	52	44	11
9	हिमाचल प्रदेश	6	9	7
10	झारखंड	79	98	43
11	कर्नाटक	6	0	0
12	केरल	16	26	117
13	मध्य प्रदेश	89	180	91
14	महाराष्ट्र	1678	2202	2075
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	1205	957	1362
20	पंजाब	29	61	25
21	राजस्थान	371	292	84
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	107	251	887
24	तेलंगाना	7003	9581	10626
25	त्रिपुरा	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	614	766	287
27	उत्तराखण्ड	0	31	18
28	पश्चिम बंगाल	40	30	7
	कुल राज्य	**13980**	**17130**	**19301**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	2	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0
32	दिल्ली	19	331	163
33	जम्मू और कश्मीर	8	7	2
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**27**	**340**	**165**
	कुल (अखिल भारत)	**14007**	**17470**	**19466**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16 .12.2025

वर्ष 2021-2023 के दौरान बेंगलुरु में साइबर अपराधों के तहत दर्ज अपराध शीर्ष-वार मामले

क्र.सं.	**अपराध शीर्ष**	**2021**	**2022**	**2023**
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	4	4	4
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	6247	9501	17122
3	साइबर आतंकवाद	1	1	1
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	170	422	471
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	0	0	0
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास	0	0	0
7	अपराध करने के लिए उकसाना	1	0	0
8	अपराध करने का प्रयास	0	3	1
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	0	9	32
क	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कुल अपराध**	6423	9940	17631
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	0	0	0
11	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	0	0	0
12	डेटा चोरी	0	0	0
13	धोखाधड़ी	0	0	0
14	बेईमानी करना	0	0	0
15	जालसाजी	0	0	0
16	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	0	0	0
17	नकली प्रोफाइल	0	0	0
18	कॉउंटरफीटिंग	0	0	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	0	0	0
20	सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार	0	0	0
21	अन्य अपराध	0	0	0
ख	**भारतीय दंड संहिता के तहत कुल अपराध**	0	0	0
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	0	0	0
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	0	0	0
24	कॉपी राइट एक्ट	0	0	0
25	ट्रेड मार्क एक्ट	0	0	0
26	अन्य एसएलएल अपराध	0	0	0
ग	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	0	0	0
	कुल साइबर अपराध	**6423**	**9940**	**17631**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-III

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16.12.2025

वर्ष 2023 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज अपराध शीर्ष-वार मामले

क्र.सं.	अपराध शीर्ष	पंजीकृत मामले
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	71
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	35329
2.1	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	4154
2.1क	रैनसम-वेयर	795
2.1ख	रैनसम-वेयर के अलावा अन्य अपराध	3359
2.2	बेईमानी से चोरी किया गया कंप्यूटर रिसोर्स या कम्युनिकेशन डिवाइस प्राप्त करना	395
2.3	पहचान की चोरी	4978
2.4	कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल करके नकली पहचान बनाकर धोखा देना	25334
2.5	निजता का उल्लंघन	468
3	साइबर आतंकवाद	11
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील / यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	7893
4.1	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना	3110
4.2	इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण	2168
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य में चित्रित करने वाली सामग्री कअ प्रकाशन या प्रसारण	1472
4.4	बिचौलियों द्वारा जानकारी का संरक्षण और प्रतिधारण	23
4.5	अन्य धाराएँ 67 आईटी अधिनियम	1120
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	1
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक बिना इजाज़त के पहुँच/ पहुँचने की कोशिश	1
7	अपराध करने के लिए उकसाना	0
8	अपराध करने का प्रयास	11
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएँ	920
क	आईटी अधिनियम के तहत कुल अपराध	44237
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	30
11	महिलाओं/बच्चों का साइबर स्टॉकिंग/धमकाना	1305
12	डेटा चोरी	113
13	धोखाधड़ी	19466
13.1	क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड	2098
13.2	एटीएम	1783
13.3	ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी	4435
13.4	ओटीपी धोखाधड़ी	5116
13.5	अन्य	6034
14	बेईमानी करना	16943
15	जालसाजी	444
16	मानहानि/रूपांतरण	36
17	नकली प्रोफ़ाइल	225
18	जालसाजी	0
18.1	मुद्रा	0
18.2	टिकट	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/धमकी	689
20	सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें	209
21	अन्य अपराध	2389
ख	आईपीसी के तहत कुल अपराध	41849
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	87
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	0
24	कॉपीराइट अधिनियम	23
25	ट्रेडमार्क अधिनियम	1
26	अन्य एसएलएल अपराध	223
ग	एसएलएल के तहत कुल अपराध	334
	कुल साइबर अपराध (क+ख +ग)	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16.12.2025
अनुलग्नक-IV

आईटी अधिनियम के तहत अपराध उनके दंडात्मक कार्यों के साथ

क्र.सं.	धारा सं.	अपराध	दण्ड	जमानती/संज्ञेय
1	65	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़।	3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
2	66	कंप्यूटर से संबंधित अपराध: धारा 43 में उल्लिखित किसी भी कार्य को बेईमानी या धोखाधड़ी से प्रत्यक्ष रूप से करने या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए दंड जैसे कि कंप्युटर संसाधन में किसी भी जानकारी के साथ छेड़छाड़, नष्ट करना, विलोपन या परिवर्तन करके या किसी कंप्यूटर स्रोत कोड की चोरी छुपने/नष्ट करने के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के खाते तक अनधिकृत पहुँच या उपयोग, वायरस डालना, नुकसान पहुंचना, बाधा डालना, पहुँच की मनाही, पहुँच में सहायता करना, गलत शुल्क लगाना।	3 वर्ष तक का कारावास या 5 लाख तक का जुर्माना या दोनों।	जमानती, संज्ञेय
3	66ख	चोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों।	जमानती, संज्ञेय
4	66ग	पहचान की चोरी, अर्थात इसके उपयोग करने के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों।	जमानती, संज्ञेय
5	66घ	कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने के लिए दंड	3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना।	जमानती, संज्ञेय
6	66ड़	गोपनीयता के उल्लंघन के लिए दंड।	3 वर्ष तक का कारावास या 2 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
7	66च	साइबर आतंकवाद के लिए दंड	कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।	गैर-जमानती, संज्ञेय
8	67	इलैक्ट्रानिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड	पहला अपराध - 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना। दूसरा अपराध - 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना	जमानती, संज्ञेय

जारी....

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16.12.2025
अनुलग्नक-IV

क्र.सं.	धारा सं.	अपराध	दण्ड	जमानती/संज्ञेय
9	67क	इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य, आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड	पहला अपराध - 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना। दूसरा अपराध - 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना।	गैर-जमानती, संज्ञेय
10	67ख	इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्य, आदि में चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड	पहला अपराध - 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना। दूसरा अपराध - 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख तक का जुर्माना।	गैर-जमानती, संज्ञेय
11	69	किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति (*एजेंसी की सहायता करने में विफल रहने वाले मध्यस्थ को दंड*)	7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
12	69क	किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति / *(ऐसे सरकारी निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहने वाले मध्यस्थ को दंड*)	7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय
13	69ख	साइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्राफिक डाटा या सूचना की निगरानी और संग्रहण करने के लिए अधिकृत *करने की शक्ति (तकनीकी सहायता प्रदान न करके इरादतन या जानबूझकर उल्लंघन करने वाले मध्यस्थ को दंड)*	1 वर्ष तक का कारावास या 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, संज्ञेय
14	70	<u>महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई)/ संरक्षित प्रणाली : किसी भी</u> *व्यक्ति को दंड दिया जाएगा जो सीआईआई से संबंधित किसी भी कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच प्राप्त करता है या पहुँच प्राप्त करने का प्रयास करता है और जिसे संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है।*	10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	गैर-जमानती, संज्ञेय

जारी....

लोक सभा अता.प्र.सं. 2645 दिनांक 16.12.2025
अनुलग्नक-IV

क्र.सं.	**धारा सं.**	**अपराध**	**दण्ड**	**जमानती/संज्ञेय**
15	70ख	CERT-IN: भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN) घटना पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। *(किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता, मध्यस्थ, डेटासेंटर आदि को दंडित किया जाएगा, जो मांगी गई सूचना उपलब्ध करने में विफल रहता है या सर्ट-इन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है*)	1 वर्ष तक का कारावास या 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, गैर-संज्ञेय
16	71	प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक (सीसीए) या प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष गलत जानकारी देने पर दंड।	2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, गैर-संज्ञेय
17	73	कुछ विवरणों में झूठा इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रकाशित करने पर दंड	2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, गैर-संज्ञेय
18	74	धोखाधड़ी के परियोजन से इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के प्रकाशन के लिए दंड	2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों	जमानती, गैर-संज्ञेय

****